विविध **बैंक प्रकरण सं0 54/2019(RCMS : 2019/00096) पंजाब एण्ड सिंध बैंक,** श्री गुरूनानक गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल, **श्रीगंगानगर बनाम खाता (अ) 1. मैसर्स बालाजी गैसेज–प्रो. श्री ताराचन्द** पुत्र श्री दानाराम दुकान नं. 4, सूचना केन्द्र के पीछे, श्रीगंगानगर एवं हाउस सं. 521, वार्ड नं. 32, पुरानी आबादी, खेतडा पाल मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर **2. दानाराम पुत्र पुरखाराम 3. मंजू देवी** पत्नी ताराचन्द हाउस सं. 521, वार्ड नं. 32, पुरानी आबादी, खेतडा पाल मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर **खाता (ब) 4. ताराचन्द पुत्र** दानाराम दुकान नं. 4, सूचना केन्द्र के पीछे, श्रीगंगानगर एवं हाउस सं. 521, वार्ड नं. 32, पुरानी आबादी, खेतडा पाल मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर **5. श्रीराम वर्मा** पुत्र महेन्द सिंह निवासी 17, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, वार्ड नं. 11, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर **6. मंजू देवी** पत्नी ताराचन्द हाउस सं. 521, वार्ड नं. 32, पुरानी आबादी, खेतडा पाल मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

**03.02.2020**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से दिनांक 24.01.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थीगण मैसर्स बालाजी गैसेज–प्रो. ताराचन्छ, दानाराम, मंजू देवी एवं खाता ब तारातचन्द, श्रीराम वर्मा एवं मंजू देवी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी श्री ताराचन्द ऋणी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति दुकान नं. 4(क्षेत्रफल 240 वर्गफीट), सूचना केन्द्र के पीछे, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। **अब इस प्रकरण में प्रार्थी बैंक किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है।

**मैने उक्त** तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

2002 के अन्तर्गत मैसर्स बालाजी गैसेज–प्रो. ताराचन्छ, दानाराम, मंजू देवी एवं खाता ब तारातचन्द, श्रीराम वर्मा एवं मंजू देवी के विरूद्ध पेश कर, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ताराचंद द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति दुकान नं. 4(क्षेत्रफल 240 वर्गफीट), सूचना केन्द्र के पीछे, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए दिनांक 27.03.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक ने दिनांक 24.01.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर यह प्रार्थना की है कि इस प्रकरण में वे किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

**चूंकि अब प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, श्रीगंगानगर इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है** इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 27.03.2019 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर